राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग
राजस्थान जयपुर

दिनांकः–

कमांकः– निपेवि / लेखा / बजट / 2019–20

समस्त विभागाध्यक्ष

विषय :– पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग को प्रेषित किये जाने वाले पेंशन प्रकरणों के पेंशन कुलक में पेंशनर्स की आई.डी. व कार्यालय की आई.डी. दर्ज करने बाबत्।

महोदय,

वित्त विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ.5(थ–75)डीटीए / IFMS / 3666–4165 दिनांक 13.09.2019 में निर्देश जारी किये हैं कि सेवानिवृति पर कर्मचारी को देय अनुपयोजित उपार्जित अवकाशों के बदले नकदीकरण का भुगतान संबंधित कार्यालय (जहां से कार्मिक सेवानिवृत हो) द्वारा सक्षम स्तर से सेवानिवृति आदेश जारी होने तथा सेवानिवृति तिथि के पश्चात् अवकाशों की जांच कर स्वीकृति जारी कर बजट मद 2071–01–115–01–01–84 से आहरित करेंगे। सेवानिवृत कार्मिक के पीपीओ का जनरेशन IFPMS पर होने के उपरान्त पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा संबंधित कार्यालय की ऑफिस आई.डी. में सेवानिवृति पर देय उपार्जित अवकाश के नकदीकरण हेतु आवश्यक बजट IFMS बजट मोड्यूल पर आवंटित किया जावेगा। इस हेतु पेंशन कुलक के साथ सेवानिवृत कर्मचारी व कार्यालय की आई.डी. की आवश्यकता होगी। अतः कार्यालयाध्यक्ष कर्मचारी के पेंशन कुलक के साथ बजट मांग पत्र एवं पेंशनर्स की आई.डी. व कार्यालय की आई.डी. अंकित करना सुनिश्चित करावें। कर्मचारी व कार्यालय की ID के अभाव में पेंशन विभाग द्वारा पेंशन प्रकरण स्वीकार नहीं किया जायेगा अथवा आक्षेप से लौटा दिया जायेगा।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में आपके अधीनस्थ समस्त कार्यालयाध्यक्ष / आहरण एवं वितरण अधिकारियों से उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें अन्यथा पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब हो सकता है एवं संबंधित विभाग पर ब्याज अदायगी का उत्तरदायित्व भी आ सकता है।

भवदीय
(सुल्तान सिंह)
निदेशक

कमांकः– निपेवि / लेखा / बजट / 2019–20 | 546–84–S
दिनांकः– 17–10–2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय कोटा, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि पेंशन कुलक में पेंशनर्स की आई.डी. व कार्यालय की आई.डी. अंकित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. सभी कोषाधिकारियों को उक्तानुसार कार्यवाही करने के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारियों को सूचित करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक
(प्रशासन)

सभी DDO को प्रतिलिपि भिजवाना सुनिश्चित करें।
23/10/19

(… सिंह)
कोषाधिकारी, …
डीडीओ कोड–3072

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कमांकः–एफ.1(   )स्था / निकाशि / 19 / 2578   दिनांकः 28-11-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि पेंशन प्रकरणों में पेंशन कुलक में पेंशन विभाग के निर्देशानुसार कर्मचारी की आई0डी0 व कार्यालय की आई0डी0 अंकित करना सुनिश्चित करें।
2. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. स्थापना शाखा।
4. रक्षित पत्रावली।

28/11/19

संयुक्त निदेशक (HRD)
कालेज शिक्षा, राजस्थान
जयपुर।